प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा, वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व, विकास एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों तथा जनसमुदाय पर खनन गतिविधियों से पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नवम्बर 2022 से अक्टूबर 2023 की अवधि में की गई।

यह प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप तैयार किया गया है।